49

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 736-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-4-2008 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 442/1978-79 अपील

1- श्रीमती सावित्री पत्नि रामऔतार ब्राहमण

2- बंशधारी पुत्र रामऔतार ब्राहमण

मौजा भरी तहसील मनगवां जिला सतना ——आवेदकगण

विरूद्ध

चुन्नीलाल पुत्र रामभरोसा ब्राहमण

ग्राम सभापुर तहसील कर्वी जिला बॉदा उत्तरप्रदेश ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02 - 08 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 442/78-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा भरी स्थित भूमि कुल किता 24 कुल रकबा 23-77 एकड़ के रामऔतार भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु होने पर ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 23 पर आदेश दिनांक 28-3-77 से

महिला सावित्री देवी पत्नि रामऔतार का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 84 अ-6/ 1976-77 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-79 से अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 28-3-77 से नामान्तरण पंजी पर किया गया नामांत्रण निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 31-7-79 के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 442/ 78-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक बार-बार सूचना पत्र भेजने के उपरांत भी अनुपस्थित है। उसके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर, निगरानी मेमो में आये तथ्यों पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने आदेश दिनांक 31-7-79 से अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि रामऔतार भूमिस्वामी के मरने के वाद उसके एक पुत्री रामप्यारी भी थी जो अनावेदक चुन्नीलाल की पत्नि थी , किन्तु ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 23 पर आदेश दिनांक 28-3-77 से नामान्तरण करते समय मृतक रामऔतार की पुत्री रामप्यारी को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना नामान्तरण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि आवेदक क-1 मृतक रामऔतार की विवाहित पत्नि भी नहीं है। इसी आशय के निष्कर्ष अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4-4-08 में है। प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब मृतक रामऔतार की पुत्री रामप्यारी जीवित नहीं रही एंव आवेदक क-1 मृतक रामऔतार की विवाहित पत्नि नहीं है तब मृतक रामऔतार की वादग्रस्त भूमि कहॉ जावेगी ? इस सम्बन्ध में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 4-4-08 के पद 6 में विवेचना कर दिया गया निष्कर्ष सही प्रतीत होता है

जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 442/ 78-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-08 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 442/ 78-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर